मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

व्यवहारिक अभ्यास कार्य हेतु दिशा-निर्देश

Guide Line for Field Work Practice

समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व)

Bachelor of Social Work (Community Leadership)

प्रायोजन

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन

जन अभियान परिषद, मध्यप्रदेश शासन

संचालन

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

व्यवहारिक अभ्यास कार्य हेतु दिशा-निर्देश

Guide Line for Field Work Practice

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत **समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)** मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो, जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान कर सकें तथा समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत–प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार करना है, जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि प्रशिक्षणार्थी ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक ढंग से क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया सीख सकें तथा भविष्य में वे जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी बने।

इस पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यावहारिक कार्य एवं प्रदत्त कार्य पर विशेष बल दिया जाना है। पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों एवं मार्गदर्शकों को व्यावहारिक कार्य से सम्बन्धित विविध पहलुओं की स्पष्ट जानकारी प्रदान की जाय। पाठ्यक्रम के व्यवहारिक कार्य से सम्बन्धित आयामों की जानकारी देने के लिये यह दिशा–निर्देश सम्बन्धी मार्गदर्शिका आपको प्रदान की जा रही है। इसमें व्यवहारिक कार्य से सम्बंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों को संकलित किया गया है। विश्वास है कि व्यवहारिक कार्य की यह मार्गदर्शिका छात्रों को विकासात्मक गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयोगी साबित होगी।

सम्पर्क :

डॉ0 अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)
ई–मेल– amarjeetckt@gmail.com, cmldpcourse@gmail.com,
मोबाइल– 9424356841

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास सह निदेशक
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)
ई–मेल– vyas.chitrakoot@gmail.com, मोबाइल– 9755289063

अनुक्रमणिका

क्र.		पृष्ठ संख्या
	विषय प्रवेश : पाठ्यक्रम परिचय	
1.	प्रस्तावना	3
2.	पाठ्यक्रम की विशेषताएँ	3–4
3.	अपेक्षित परिणाम	5
4.	फील्ड वर्क / व्यावहारिक कार्य, प्रदत्त कार्य एवं इंटर्नशिप	5–6
5.	विगत वर्ष प्रथम वर्ष के छात्रों को आवांटित व्यावहारिक अभ्यास कार्य (Field Work Practice) का विषय	7
6.	विगत वर्ष प्रथम वर्ष के छात्रों को आवांटित प्रदत्त कार्य (Assignment) क विषय	8
7.	प्रायोगिक / व्यावहारिक कार्य परीक्षा हेतु परीक्षकों के लिये निर्देश	9
8.	फील्ड वर्क / व्यावहारिक कार्य एवं प्रदत्त कार्य का अभिलेखीकरण कस कर	10–11
*	संलग्नक–1 : व्यावहारिक अभ्यास कार्य प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप	12
*	संलग्नक–2 : अंक–पत्रक (वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा)	13
*	संलग्नक–3 : उपस्थिति–पत्रक (वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा)	14
*	संलग्नक–4 : पारिश्रमिक व्यय पत्रक (वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा)	15

■■■

पाठ्यक्रम परिचय

1. प्रस्तावना

देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ''सबका साथ सबका विकास'' का नारा दिया है, जिसे साकार करने के लिये मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीयुत् शिवराज सिंह चौहान सतत् प्रयत्नशील हैं। मध्यप्रदेश के विकास के लिये लक्ष्य और नीतियों के निर्धारण का दस्तावेज मध्यप्रदेश विजन–2018 बनाया गया है, जिसमें अन्य अनेक आयामों के साथ प्रदेश के मानव संसाधन के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। दस्तावेज में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में महिलाओं को बराबर की भागीदारी मिले। इसे यथार्थ रूप में परिणित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन ने एक अभिनव कार्यक्रम की कल्पना की है, जिसे ''सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम'' नाम दिया गया है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों विशेषकर महिलाओं को विकास के विविध आयामों की सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा देने के उद्देश्य से ''समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)'' प्रारम्भ किया गया है। पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2015–16 से पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर महिला एवं बाल विकास विभाग, 89 आदिवासी बहुल विकासखण्डों में आदिम जाति कल्याण विभाग एवं 224 गैर–आदिवासी बहुल विकासखण्डों में जन अभियान परिषद के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के संचालन से अपेक्षा है कि ऐसे क्षमतावान युवा विशेषकर युवतियाँ प्रशिक्षित होकर तैयार हों, जो –

- प्रशिक्षित और प्रमाणित सामुदायिक नेता, खासतौर पर महिलाएँ, समुदाय एवं कल्याण कार्यक्रमों के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकें।
- ग्रामीण युवाओं विशेषकर महिलाओं को उनके द्वार पर उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकें, जिससे वे पहले वंचित थे।
- सामाजिक क्षेत्र के विभागों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार हो सके।
- शैक्षणिक योग्यता युक्त जमीनी कार्यकर्ता और जनसमुदाय आधारित संगठन तैयार हो सकें।

2. पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

यह एक अभिनव पाठ्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विकास के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल विकसित करना है ताकि वे सामाजिक परिवर्तन के वाहक बनने के साथ ही विकास की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

- विद्यार्थी अपनी गति और सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं तथा 3–6 साल की अवधि में पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।
- विद्यार्थी एक या दो साल के बाद प्रमाण पत्र या डिप्लोमा लेकर पढ़ाई छोड़ सकते हैं।
- विद्यार्थी अपनी गति से अध्ययन कर सकते हैं। उन्हें नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल सम्पर्क कक्षाओं में उपस्थित होकर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक और प्रायोगिक विषयों के लिए उचित और रुचिकर अध्ययन सामग्री प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी को अनुभवी और योग्य मार्गदर्शकों (मेंटर) के सानिध्य मिलेगा।
- संपर्क कक्षाओं के साथ ही प्रायोगिक कार्य के अन्तर्गत गाँवों में जाकर विशेषकर महिला प्रशिक्षणार्थियों का व्यावहारिक अनुभवों को प्राप्त करना पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषता है।
- पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्नातक उपाधि की प्राप्ति, प्रशिक्षण से आत्मविश्वास में वृद्धि और विकास क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार के अनेक अवसरों की उपलब्धता इस पाठ्यक्रम के प्रतिफल होंगे।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम
बैचलर ऑफ सोशल वर्क (सामुदायिक नेतृत्व) पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम की समस्त गतिविधियाँ को निम्नांकित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है

BSW (Community Leadership)

सैद्धान्तिक विषय

प्रथम वर्ष में 06 और द्वितीय वर्ष में 06 विषय/मॉड्यूल

50 प्रतिशत वेटेज

- समाज कार्य का परिचय
- विकास की समस्याएँ एवं मुद्दे
- नेतृत्व विकास
- विकास के लिए संचार और जीवन कौशल शिक्षा
- पोषण और स्वास्थ्य देखभाल
- बाल विकास, सुरक्षा एवं शिक्षा

20 प्रतिशत आंतरिक (CFA)
80 प्रतिशत बाह्य (ESE)
20 अंक + 80 अंक = 100

प्रत्येक मॉड्यूल/विषय के लिए

- समाज कार्य का इतिहास एवं सहायक पद्धतियाँ
- सामुदायिक संगठन एवं गतिशीलता
- पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास
- महिला विकास एवं सशक्तिकरण
- विधिक साक्षरता
- कम्प्यूटर कौशल

20 प्रतिशत आंतरिक (CFA)
80 प्रतिशत बाह्य (ESE)
20 अंक + 80 अंक = 100

प्रत्येक मॉड्यूल/विषय के लिए

व्यावहारिक अभ्यास कार्य

तीन प्रकार की गतिविधियाँ – प्रदत्त कार्य, व्यावहारिक कार्य, एवं इंटर्नशिप

50 प्रतिशत वेटेज

- प्रदत्त कार्य (असाइनमेंट)
- व्यावहारिक कार्य अभ्यास (फील्ड वर्क प्रैक्टिस)
- इंटर्नशिप

50 प्रतिशत आंतरिक (CFA)
50 प्रतिशत बाह्य (ESE)
50 अंक + 50 अंक = 100

20 अंक प्रदत्त कार्य (10x2)
20 अंक फील्ड वर्क
10 अंक इंटर्नशिप
(प्रत्येक वर्ष में)
प्रथम वर्ष में (30+20)
इंटर्नशिप नहीं।

3. अपेक्षित परिणाम

- प्रदेश में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछित मानव संसाधन का विकास।
- वंचित वर्गों विशेषकर महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासन पर निर्भरता कम कर स्वयं के साधनों से समस्याओं के समाधान की पहल की प्रवृत्ति का विकास।
- विकास कार्यकर्ताओं को क्षमता संवर्धन के लिए एक उचित अवसर।
- विकास को जन–अभियान बनाने की दृष्टि से मनःस्थिति और परिस्थिति में परिवर्तन।
- कार्यशील मानव संसाधन में क्षमता वृद्धि।
- गैर–सरकारी विकास संगठनों में क्षमता संवर्धन से अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति।

4. फील्ड वर्क/व्यावहारिक कार्य, प्रदत्त कार्य एवं इंटर्नशिप

फील्डवर्क (व्यवहारिक कार्य) का अभ्यास और प्रदत्त कार्य पाठ्यक्रम का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। फील्ड वर्क/व्यावहारिक कार्य एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में पूरा होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को आवंटित अध्ययन केन्द्र के द्वारा विद्यार्थी को एक अनुमोदित शिक्षक प्राप्त होगा, जिसके मार्गदर्शन में वह क्षेत्र कार्य/प्रैक्टिकल पूरा करेंगे। प्रत्येक वर्ष के पाठयक्रम के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को व्यावहारिक कार्य पत्रिका/प्रेक्टिकल मैनुअल भी प्रदान किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए क्षेत्र कार्य/प्रैक्टिकल में सफल होना आवश्यक है। व्यावहारिक कार्य के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि व्यावहारिक कार्य के ऊपर सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के बराबर क्रेडिट प्रदान कर विशेष महत्व दिया गया है।

यह पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से, प्रदेश के 89 आदिवासी बहुल विकासखण्डों में आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से एवं 224 गैर–आदिवासी बहुल विकासखण्डों में जन अभियान परिषद के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के क्षेत्रीय कार्य, प्रदत्त कार्य एवं इंटर्नशिप के आयोजन से संबंधित यहाँ दिए गए निर्देश उपरोक्त तीनों प्रकार के छात्रों के लिए समान रूप से लागू होंगे।

1. क्षेत्रीय कार्य एवं प्रदत्त कार्य का आयोजन पूर्व में घोषित निर्धारित रविवार को आयोजित होने वाली कक्षाओं के अलावा कभी भी किया जा सकता है।
2. क्षेत्रीय कार्य एवं प्रदत्त कार्य के अंक वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों में जोड़े जायेंगे।
3. छात्र क्षेत्रीय कार्य एवं प्रदत्त कार्य के ग्राम, विषय एवं कार्यों का चयन संबंधित मेंटर के परामर्श से अपनी सुविधानुसार करेंगे।
4. क्षेत्रीय कार्य एवं प्रदत्त कार्य 100 अंकों (आन्तरिक मूल्यांकन हेतु 50 अंक + बाह्य परीक्षक से मूल्यांकन हेतु 50 अंक) का होगा। आंतरिक मूल्यांकन के 50 अंकों में से क्षेत्रीय कार्य एवं इंटर्नशिप के लिए 30 अंक एवं प्रदत्त कार्य के लिए 20 अंक निर्धारित है। बाह्य परीक्षक भी इसी प्रकार 50 अंकों में से क्षेत्रीय कार्य एवं इंटर्नशिप के लिए 30 अंक एवं प्रदत्त कार्य के लिए 20 अंक के लिए प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन करेगा।

बी.एस.डब्ल्यू. (सामुदायिक नेतृत्व) पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में व्यावहारिक/प्रायोगिक/फील्ड गतिविधियों को तीन भागों में बाँटा गया है–

1. असाइनमेंट
2. फील्डवर्क प्रेक्टिकल
3. इंटर्नशिप

1. असाइनमेंट/प्रदत्त कार्य : (उद्देश्य–फील्ड में कार्य करने को क‚शलता सोखना – प्रारम्भिक चरण)।

पृथक–पृथक छोटी–छोटी किन्तु पूर्ण गतिविधियाँ (प्राथमिक)

- ➢ प्रत्येक वर्ष में 10 गतिविधियाँ।
- ➢ प्रत्येक माह में एक संपादित की जाती है।
- ➢ गतिविधियों का मानक स्वरूप व्यावहारिक अभ्यास कार्य पुस्तिका में वर्णित है। (मॉड्यूल 7 और 14)
- ➢ स्वतन्त्र गतिविधि (एकल या श्रृंखला रूप में)
- ➢ मेंटर + छात्र का साझा चयन/लचीलापन (गतिविधि संस्था, विस्तार प्रकृति की दृष्टि से)
- ➢ निर्धारित मानकों और स्वरूप (फार्मेट में)

2. फील्डवर्क प्रैक्टिस : (समन्वित रूप से कार्य योजना एवं क्रियान्वयन, मानिटरिंग)।

▪ श्रृंखलाबद्ध गतिविधियों का संकुल। ▪ व्यापक लक्ष्य क्रमबद्ध प्रगति (द्वितीयक)

- ➢ पूरे वर्ष पर्यन्त निरन्तर की जाने वाली गतिविधि।
- ➢ प्रथम वर्ष के लिए समग्र स्वच्छता अभियान।
- ➢ द्वितीय वर्ष के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान
- ➢ गतिविधियों का समूह
- ➢ निरन्तरता, वर्ष पर्यन्त कार्य, वर्षन्त में मूल्यांकन
- ➢ दीर्घकालीन योजना और क्रियान्वयन
- ➢ समयबद्ध प्रगति मूल्यांकन/समीक्षा

3. इंटर्नशिप : (वास्तविक कार्यालयीन परिस्थितियों में कार्य करने की प्रक्रिया और दक्षता कौशल का सृजन)।

▪ कार्यालयीन प्रक्रिया को अभ्यास और अवलोकन से सीखना। ▪ लोगों का मार्गदर्शन कर सकें।

- ➢ प्रथम वर्ष के लिए लागू नहीं।
- ➢ द्वितीय वर्ष के लिए आंगनवाड़ी से सम्बद्ध होकर कार्य कर सकते हैं।
- ➢ संस्था में न्यूनतम 3 और अधिकतम 4 सप्ताह का प्रशिक्षण।
- ➢ रविवार को छोड़कर सप्ताह के कुछ दिन उपस्थिति।
- ➢ कार्यालय प्रमुख का प्रमाण–पत्र।
- ➢ प्रक्रियात्मक (Functional) आयामों की गहराई से जानकारी।

आगे विगत वर्ष में आवांटित प्रयोगिक कार्य से संबंधित गतिविधियाँ इस लिए दी जा रही हैं क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रयोजित 51 जिला मुख्यालयों के केन्द्रों पर संशोधित निर्देश नहीं पहुँच पाये हैं।

5. विगत वर्ष प्रथम वर्ष के छात्रों को आवांटित व्यावहारिक अभ्यास कार्य (Field Work Practice) का विषय

बैचलर ऑफ सोशल वर्क (सामुदायिक नेतृत्व विकास) पाठ्यक्रम के पूरे प्रथम वर्ष में क्षेत्रीय कार्य (Field Work) के विषय के रूप में "स्वच्छ भारत अभियान" से संबंधित कार्यो को करना है। किए गये कार्यों का प्रति माह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में निर्धारित तिथि को वाह्य परीक्षक के द्वारा किया जायेगा। स्वच्छ भारत अभियान के दिशा निर्देश के अनुसार उसकी प्रमुख गतिविधियाँ निम्नांकित हैं –

क्रं.	गतिविधि	कार्य का स्वरूप
1.	प्रारम्भ (Start-up)	• स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रारम्भिक स्तर का सामुदायिक सर्वेक्षण। • सामुदायिक सहभागिता से योजना निर्माण।
2.	आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा एवं संचार)	• सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से व्यावहारगत परिवर्तन। • प्रति परिवार सम्पर्क। • आई.ई.सी. के लिए संचार के अन्य माध्यमों का प्रयोग। • महिलाओं एवं बालिकाओं में स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाने के लिए विशेष प्रयास।
3.	स्टेकहोल्डर्स इत्यादि का क्षमता संवर्धन	• स्टेकहोल्डर्स, स्वच्छता दूत/सेना, पंचायतीराज जनप्रतिनिधि, वी.डल्यू.एस.सी., वी.पी.एम.यू. कार्यकर्ता आशा, आगनवाड़ी, एस.एच.जी. सदस्य, मेसेन, सी.एस.ओ./एन.जी. ओ. इत्यादि के प्रशिक्षण कार्यक्रम। • आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा एवं संचार) कार्यक्रमों का संचालन।
4.	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	• शौचालय विहीन परिवारों की पहचान एवं शौचालय निर्माण कराने हेतु प्रेरित करना। • शौचालय निर्माण हेतु निर्धारित अनुदान तक शौचालय विहीन परिवारो की पहुंच सुनिश्चित करना।
5.	ग्रामीण स्वच्छता सामग्री उत्पादन	• ग्रामीण स्वच्छता सामग्री उत्पादन करने हेतु सी.एस.ओ. /एन.जी.ओ., एस.एच.जी. इत्यादि को अभिप्रेरित करना।
6.	शौचालय हेतु सूक्ष्म वित्त सहायता	• शौचालय निर्माण हेतु निर्धारित अनुदान को लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य।
7.	सामुदायिक स्वच्छता काम्पलेक्स	• सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता को स्थायित्व देने के लिए ऐसे सामुदायिक स्वच्छता काम्पलेक्स का निर्माण हो जिसमें पर्याप्त मात्रा में लैट्रीन शीट, बाथरूम, हस्तप्रक्षालन स्थल इत्यादि हो।
8.	सभी वर्गों का समावेश	• सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान में सभी वर्गो का समावेश, सुनिश्चित करना।
9.	ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन	• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में वृद्धि के लिए ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रोत्साहन।

6. विगत वर्ष प्रथम वर्ष के छात्रों को आवांटित प्रदत्त कार्य (Assignment) क विषय

1. चयनित ग्राम में सामुदायिक सहभागिता के द्वारा उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करना तथा कार्य प्रतिवेदन तैयार करना होगा।
2. प्रदत्त कार्य करने हेतु प्रत्येक माह के लिए एक प्रदत्त कार्य तथा इस वर्ष के लिए 10 प्रदत्त कार्य के विषय निर्धारित किए गए हैं।
3. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक माह में किसी एक विषय पर केन्द्रित प्रदत्त कार्य संबंधित मेंटर द्वारा प्रदान किया जायेगा जिसे पूर्ण कर अभिलेखीकरण सहित अध्ययन केन्द्र में जमा करना अभ्यर्थी का दायित्व होगा। प्रत्येक प्रदत्त कार्य के लिये 02 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार वर्ष भर के 10 माह के लिये 10 प्रदत्त कार्य किये जाने होंगे, जिन पर अधिकतम 20 अंक होंगे। प्रदत्त कार्यों के लिये कार्य/थीम का चयन निम्नानुसार किया जायेगा

• निर्धारित ग्राम में शाला चलो अभियान की सफलता के लिये प्रयास करना। इसके लिये गाँव में जागरूकता संगोष्ठियों का आयोजन विशेष कर छात्राओं के शत–प्रतिशत पंजीकरण के लिये प्रयास। सभी शाला जाने योग्य छात्र–छात्राओं के पंजीकरण कराने के लिये अभियान शैली में कार्य। स्कूल की स्वच्छता और शौचालय (लड़की एवं लड़कों) दोनों के लिये कार्य।
• वातावरण की अनुकूलता के आधार पर उपयुक्त स्थान पर ग्राम में वृक्षारोपण के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना। छायादार, हवादार और फलदार वृक्षों को सड़क के आस–पास लगाये जाने की योजना बनाना और उसे लागू करना। सामुदायिक भवनों के कम्पाउण्ड में वृक्षारोपण करना, रोपित वृक्षों की सुरक्षा के लिये बाड़ लगाना। शालाओं में वृक्षारोपण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना। वृक्षों की महत्वता और पर्यावरण की संरक्षा पर लोगों को जागरूक करना।
• ग्राम में संचालित विविध वर्गों के लिये और विविध आयामों पर शासकीय योजनाओं से लोगों को अवगत कराना। शासन की योजनाओं से अधिकाधिक लाभ लेकर प्रगति करने की मानसिकता का विकास। शासकीय योजनाओं का छद्म लाभ ले रहे लोगों को हतोत्साहित करना। ग्राम में संचालित शासकीय योजनाओं की सूची बनाना। हितग्राहियों की पहचान करना और उन्हें उपयुक्त शासकीय योजना से जोड़ने के लिये आवश्यक प्रयास करना।
• पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के महत्व से लोगों को अवगत कराना। गाँव में पशुधन की उपलब्धता का आंकलन करना। व्यवसाय के लिये उपयुक्त पशुपालन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। पर्यावरण संरक्षण के लिये पशु और वनस्पति संरक्षण के महत्व से लोगों को अवगत कराना। गांव में प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान और उनसे निपटने के उपायों के लिये जनता में उत्साह और उमंग का माहौल पैदा करना।
• सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत अपने ग्राम में निरक्षरों की पहचान करना, अल्पसाक्षरों को और अधिक निपुणता के लिये प्रेरित करना, साक्षरता कक्षाओं का आयोजन, पढ़ने लिखने के लाभ से लोगों को अवगत कराना और इसके लिये लोगों को तैयार करना। ऐडल्ट एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों के जरिये पूरे गांव को साक्षर बनाने की सार्थक पहल करना।
• छूआछूत और जाति भेद की स्थिति की समीक्षा करना, उन रूढ़ियों और प्रथाओं को हतोत्साहित करना जिससे यह फैलती हैं। बराबरी के दर्जे को लोगों में फैलाने के लिये जागरूकता का प्रसार करना। समानता पर आधारित समाज की संरचना के लिये आवश्यक

प्रयत्न करना। इस दिशा में अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत कराना।
• चयनित ग्राम में आहार और पोषण के प्रति लोगों में जागरूकता का सृजन करना। सस्ते किन्तु अधिक उपयोगी खाद्यानों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। लोगों में पोषण और स्वास्थ्य के महत्व को बताना। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण के कारणों की पड़ताल और उनके समाधान के लिये सम्यक रणनीति बनाना और उसे जन–जन तक फैलाना।
• गांव में स्थित जल स्त्रोतों के संरक्षण, सम्पोषण पर बल देना। गांव में जलीय संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिये कार्य करना। आस–पास के तालाब, पोखरों और बावली की सफाई के लिये जन अभियान चलाना। वर्षा ऋतु के आने से पूर्व जल संरक्षण के लिये संरचनाऐं बनाना। भू–गर्भ जल को संरक्षित रखने के उपायों से लोगों को अवगत कराना। सोख्ता गड्ढा बनानें के लिये लोगों को प्रेरित करना। आस पास की नदियों के जल संरक्षण के लिये और स्वच्छता के लिये आवश्यक प्रयत्न करना।
• गांवों के लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराना। विधिक साक्षरता के लिये अभियान चलाना। गांवों में संगोष्ठियों का आयोजन करना। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की पैरवी करना। समता मूलक समाज में कानून और न्याय के शासन के लिये ज्ञानाधारित समाज बनाने में योगदान करना। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता के सृजन के लिये कार्य करना।

4. वार्षिक परीक्षा के पूर्व व्यावहारिक कार्य (फील्ड वर्क) एवं प्रदत्त कार्य के प्रतिवेदनों का मूल्यांकन संबंधित मेण्टर के द्वारा किया जायेगा।
5. प्राप्तांको को विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित अनुक्रमांक के साथ संलग्न प्रोफार्मा में भरकर ई–मेल– **cmcldpcourse@gmail.com** पर प्रेषित करना होगा।

7. प्रायोगिक/व्यावहारिक कार्य परीक्षा हेतु परीक्षकों के लिये निर्देश

1. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ सोशल वर्क (सामुदायिक नेतृत्व) पाठ्यक्रम महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से संपूर्ण प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी 51 जिला मुख्यालयों में महिला एवं बाल विकास विभाग, 89 आदिम जाति विकास खण्डों में आदिम जाति कल्याण विभाग और 224 गैर–जनजातीय विकासखण्डों में म.प्र. जन अभियान परिषद् के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है।
2. पाठ्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा पद्धति पर आधारित है, जिसकी सम्पर्क कक्षायें प्रत्येक रविवार को अध्ययन केन्द्रों पर संचालित होती हैं, जिनमे निर्धारित विषय पर विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित परामर्शदाता, मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं।
3. सप्ताह के अन्य दिनों में छात्र चयनित ग्राम में निर्देशानुसार फील्ड वर्क/व्यावहारिक कार्य करते हैं। यह व्यवहारिक कार्य दो रूपों में होता है–

    1. फील्ड वर्क (Field Work)
    2. प्रदत्त कार्य (Assignment)

4. 2015–16 में पूरे वर्ष के लिए फील्ड वर्क के अन्तर्गत स्वच्छ भारत अभियान से सम्बन्धित गतिविधियों में से छात्रों द्वारा प्रतिमाह किसी एक गतिविधि को चयनित गांव में संपादित करने का दायित्व दिया गया था। प्रदत्त कार्य के अन्तर्गत प्रतिमाह एक गतिविधि इस प्रकार कुल 10 गतिविधि को संचालित करना निर्धारित किया गया था।

5. इस क्रम में लिए फील्ड वर्क के स्वच्छ भारत अभियान एवं प्रदत्त कार्य के रूप में चयनित10 गतिविधियों को केन्द्रित कर छात्रों ने अपने चयनित गाँवों में गतिविधियाँ सम्पन्न कर दस्तावेजीकरण किया है।
6. वर्ष भर किये गए कार्य के रूप में छात्र को फील्ड वर्क पर अधिकतम 30 और प्रदत्त कार्य पर अधिकतम 20 अंकों, कुल 50 अंकों में से आन्तरिक परीक्षक को छात्र के कार्य के अनुरूप अंक प्रदान करने हैं।
7. बाह्य परीक्षक के रूप में आपका दायित्व होगा कि आप छात्र द्वारा किसी ग्राम विशेष में वर्षभर किये गये कार्यो के दस्तावेजीकरण का सावधानीपूर्वक आंकलन करें। छात्र द्वारा वर्षभर किये गये व्यावहारिक कार्य एवं प्रदत्त कार्य के दस्तावेजीकरण और मौखिकी के माध्यम से छात्र द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर मूल्यांकन करें। बाह्य परीक्षक के रूप में फील्ड वर्क पर अधिकतम 30 और प्रदत्त कार्य पर अधिकतम 20 अंकों, कुल अधिकतम 50 अंकों में से छात्र के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप अंक प्रदान करें।
8. प्रायोगिक परीक्षा के रूप में छात्र के वास्तविक कार्य का आंकलन किया जाना है। अस्तु आपसे निवेदन है कि उसके द्वारा किये गये वर्षभर के क्रियाकलाप का सावधानीपूर्वक आंकलन कर अंक प्रदान करें।
9. अद्धवार्षिक परीक्षा के समय प्रायः अधिकाशः केन्द्रों पर छात्रों के उपस्थिति एवं अंक प्रदान करने संबंधित प्रारूप प्रेषित किये गये थे, जिसमें नाम एवं अनुक्रमांक पहले से दर्ज थे। कृपया पूर्व प्रेषित प्रारूप में ही अंक एवं उपस्थिति प्रेषित करें। प्रारूप Website:- www.cmcldp.org पर भी उपलब्ध हैं।
10. यदि किसी कारणवश उपरोक्त प्रारूप उपलब्ध न हो सके तो अंक एवं उपस्थिति प्रेषित करने का खाली प्रपत्र इस निर्देश के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।
11. बाह्य परीक्षक के रूप में संमादित किये जाने वाले कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय की पात्रता होगी, जिसका विवरण इस प्रकार है– प्रतिछात्र मानदेय – 10 रूपये, दैनिक भत्ता – 200 रूपये प्रति दिवस, स्थानीय यात्रा व्यय – 200 रूपये प्रति दिवस और जलपान हेतु रूपये 50 प्रति दिन देय होगा।
12. प्रायोगिक परीक्षा की तिथि तय करने के लिए जन अभियान परिषद् के जिला समन्वयक आपसे सम्पर्क करेंगे कृपया उन्हें तिथि देने का कष्ट करें।
13. छात्रों को प्रदत्त अंक संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर विधिवत् हस्ताक्षर उपरान्त आपको परीक्षा दिवस में ही स्कैन कराकर विश्वविद्यालय के E-Mail ID – cmcldpcourse@gmail.com पर प्रेषित करें। हार्डकॉपी अधोहस्ताक्षरी के डॉक–पते पर स्पीडपोस्ट से विलम्बतम् 30 मई, 2016 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
14. प्रदत्त अंको की हार्ड कॉपी और छात्रों की उपस्थिति उपकुलसचिव (परीक्षा) सीएमसीएलडीपी, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट जिला–सतना (म.प्र.) को प्रेषित करें। किसी विशेष जानकारी के लिये दूरभाष क्रमांक 07670–265622 पर सम्पर्क करें।

8. फील्ड वर्क/व्यावहारिक कार्य एवं प्रदत्त कार्य का अभिलेखीकरण कस कर

व्यावहारिक कार्य एवं प्रदत्त कार्य का ऑकलन उसके प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण एवं अभिलेखीकरण पर आधारित होता है। अभिलेखीकरण के अभाव में छात्र के द्वारा किया गया बेहतर कार्य भी प्रभावहीन माना जाता है। व्यावहारिक एवं प्रदत्त कार्य का मूल्याकंन भी इन्हीं अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा। अतः व्यावहारिक एवं प्रदत्त कार्य का प्रतिवेदन समस्त छात्र पूर्ण मनोयोग से तैयार करें।

प्रतिवेदन से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं का विवरण संलग्नक क्रमांक – 1 में प्रस्तुत प्रारूप में दिया जा रहा है।

- अध्ययन हेतु चयनित ग्राम एवं परिवार से सम्बन्धित जानकारी सबसे पहले प्राप्त किया जाये।
- प्रयोग व्यावहारिक कार्य एवं प्रदत्त कार्य दोनों के लिए किया जा सकता है।
- गतिविधियों के अंक प्रतिशत में हैं।
- सामुदायिक कार्य, वैयक्तिक कार्य अथवा समूह कार्य से सम्बन्धित विवरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाये।
- सामुदायिक कार्य एवं समूह कार्य में जन सहभागिता को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया का भी उल्लेख करें।
- प्रपत्र मे दर्शाये गये बिन्दु मार्गदर्शन एवं प्रतिवेदनों के स्वरूप में एकरूपता लाने के लिए दिये गये हैं।
- यदि कोई अन्य उल्लेखनीय बिन्दु हों तो उन्हें पृथक से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- प्रतिवेदन हस्तलिखित एवं सुपाठ्य अक्षरों में हो तथा नीले अथवा काले स्याही का उपयोग किया जाये।
- छायाचित्र, समाचार पत्रों के कटिंग एवं अन्य साक्ष्य जो आपके कार्य को प्रमाणित करें अवश्य संलग्न करें।
- व्यावहारिक कार्य (फील्ड वर्क) एवं प्रदत्त कार्य के अंको को **संलग्नक क्रमांक** में दिये गये प्रारूप में भर कर प्रयोगिक परीक्षा के पश्चात प्रेषित करें।

■■■

व्यावहारिक अभ्यास कार्य प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम
समाज कार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व) पाठ्यक्रम
प्रथम वर्ष/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु
व्यावहारिक कार्य/प्रदत्त कार्य प्रतिवेदन

प्रतिवेदन क्रमांक –	
छात्र का नाम –	
अनुक्रमांक/यू0आई0डी0 नम्बर–	
दिन एवं दिनाँक –	
समय –	
स्थान –	
केन्द्र का नाम –	

क्र0	**प्रतिवेदन के बिन्दु**	**जानकारी शब्दों में** (अधिकतम)	**निर्धारित अंक प्रतिशत में**
1.	गतिविधि का नाम	–	–
2.	उद्देश्य	20	10
3.	पूर्व में की गई तैयारी	50	10
4.	गतिविधि के आयोजन का स्वरूप	100 (कार्य क्या एवं कैसे किया गया)	20
5.	प्रयोग की गई सामग्री/उपकरण	20	05
6.	सहभागियों की संख्या	–	05
7.	गतिविधि के फोटोग्राफ्स	–	20
8.	समाचार पत्रों में प्रकाशन का छायाचित्र	–	10
9.	अन्य उल्लेखनीय विवरण	–	–
10.	हमने क्या सीखा	20	10
11.	भावी योजना	20	10

छात्र के हस्ताक्षर   मेंटर के हस्ताक्षर

परीक्षक का हस्ताक्षर

संलग्नक–2

प्रारूप

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जि. सतना (म.प्र.)
मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

अंक–पत्रक (वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा) सत्र......................

अध्ययन केन्द्र का नाम : जिला :

विकासखण्ड :

प्रश्नपत्र का नाम : पूर्णांक :

पाठ्यक्रम का नाम : समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व) प्रथम वर्ष/प्रमाणपत्र

क्र.	अनुक्रमांक	छात्र/छात्रा का नाम	प्राप्तांक अंकों में	प्राप्तांक शब्दों में

अध्ययन केन्द्र प्रभारी का नाम, पता, हस्ताक्षर एवं मो.न.:

दिनांक :

नोटः–
- उक्त विवरण में किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग एवं फ्ल्यूड का प्रयोग वर्जित है।
- जो लागू न हो उसे काट दें।

परीक्षक के हस्ताक्षर :

परोक्षक का नाम एवं पता एवं मो.न. :

दिनांक :

संलग्नक–3

प्रारूप

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जि. सतना (म.प्र.)

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

उपस्थिति–पत्रक (वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा)

अध्ययन केन्द्र का नामः	विषय/प्रश्नपत्र..	
जिलाः	ब्लाकः	सत्रः 2016–17
पाठ्यक्रम का नामः BSW (community Leadership)		

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	अनुक्रमांक	छात्र के हस्ताक्षर

अध्ययन केन्द्र प्रभारी/आंतरिक परीक्षक के हस्ताक्षर नाम. एवं पता एवं मो.नं...

दिनांक ....

बाह्य परीक्षक के हस्ताक्षर...

परीक्षक का नाम. एवं पता एवं मो.नं.................................

दिनांक ....

नोट– 1. उक्त विवरण में किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग एवं फ्ल्यूड का प्रयोग वर्जित है।

2. अनुपस्थित छात्रों के सामने A अंकित करें।

MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
CHITRAKOOT, SATNA (MP) 485 334
Centre for Chief Minister's Community Leadership Development rogramme

(REMUNERATION BILL OF BSW)

Practical Examination 2016-17

Name of Examinor : .... Date:......................

Address : Mobile No. : Email ID:

Examinor's Bank Detail : Name of Bank : .... Branch: ....

Account No.: .... IFSC Code: ....

DATE	NAME OF CENTRE (With Detail of Block and Distt.)	DETAIL OF HEAD				AMOUNT (RS.)
		REMUNERATION @ Rs. 10/- Per Student	D.A. @ Rs. 200/- Per Day	Refreshment @ Rs. 50/- Per Day	Local Conveyance @ Rs. 200/- Per Day	
	TOTAL					

Amount in words :-

Payment Received

revenue stamp of Rs. 2/-

(For Exam Deptt. only)
Bill No.: ....
Practical Exam:

PAYMENT VERIFIED

Deputy Registrar(Exam) / Director CMCLDP

Forwarded for Payment of Rs...

Passed Payment of Rs. ....

COMPTROLLER / REGISTRAR